संख्या- 54/1457/बयालिस-2015-13(निर्माण)/2012

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2015**

विषय :- जनपद मैनपुरी में स्टेडियम का समतलीकरण, वालीबाल हास्टल की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 221/नि0 मैनपुरी स्टे0 पत्रा0/2015-16, दिनांक 12 जून, 2015 के सन्दर्भ मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी में स्टेडियम का समतलीकरण, वालीबाल हास्टल की स्थापना हेतु रू0 485.23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 50.00 लाख शासनादेश संख्या- 644/बयालिस-2013-13(निर्माण)/2012, दिनांक 31 मार्च, 2013, शासनादेश संख्या- 3425/बयालिस-2013-13(निर्माण)/2012, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 द्वारा रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या-2496/बयालिस-2014-13(निर्माण)/2012, दिनांक 08 जनवरी, 2015 द्वारा रू0 417.80 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 150.00 लाख निर्गत किया गया था। इस प्रकार प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 117.80 लाख अवमुक्त करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 117.80 लाख निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष- 2015-16 में बजट एवं परिव्यय सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगी।

(3)- परियोजना के कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन को रोकने के लिए बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किया गया कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5)- प्रश्नगत प्रायोजना विषयक मूल शासनादेश संख्या- 644/बयालिस-2013-13(निर्माण)/2012, दिनांक 31 मार्च, 2013, शासनादेश संख्या- 3425/बयालिस-2013-13(निर्माण)/2012, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, शासनादेश संख्या- 2496/बयालिस-2014-13(निर्माण)/2012, दिनांक 08 जनवरी, 2015 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2- उक्त पर होने वाली व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में अनुदान संख्या- 22 के " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्य-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-52-जनपद मैनपुरी में स्टेडियम का समतलीकरण, वालीबाल हास्टल की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीया,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 54/1457(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
5- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, युनिट- 35 आगरा।
6- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, आगरा/क्रीड़ाधिकारी, मैनपुरी।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in